

अंचल कार्यालय, महागागा

केश का प्रकार :- अविध/ संदेहास्पद जमाबंदी
 अगिलेख संख्या :- 86/18-19

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री गति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयबद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री संजय राविका वों अंचल निरीक्षक श्री संजय राविका का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि गौजा सुख थाना नं0 692 गैरगजरूआ खाता नं0 84 दाग नं0 31 रकवा 06-17-01 किसम पत्नी कर्षि श्री संजय राविका पिता सुख राविका साकिन सुख के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री संजय राविका को दिनांक 25/5/16 समय 11:00 पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

संजय राविका
 अंचल अधिकारी,
 महागागा।

25/5/16
 अगिलेख उपस्थापित। संजय राविका पिता सुख राविका
 उपस्थित। पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। अतः
 अगिलेख दिनांक 25/5/16 को रवे

संजय राविका
 के. अ.

4/8/16
 sandha
 अगिलेख उपस्थापित। संजय राविका उपस्थित। पंजी 2 में नया
 जमाबंदी कायम है। अतः अगिलेख दिनांक 11/8/16 को रवे।

संजय राविका
 के. अ.

11/8/16

~~अभिलेख उपस्थापित।
व्यंग्य रविकाल उपस्थित। इन्होंने प्रति प्रति जाति का
संलग्न किया है।~~

11/8/16

~~अभिलेख उपस्थापित।
व्यंग्य रविकाल उपस्थित। इन्होंने प्रति प्रति जाति का
संलग्न किया है।~~ 26.8.16 को रखें।

SP

26/8/16

अभिलेख उपस्थापित।
श्री रविकाल अक्सर डाकू का खिल सागरात का
अवलोकन किया। प्रति सुधार उप लमहरी द्वारा
साठवि वाद का 13/2004-05 में पारित आदेश की
विस्तृत उपायुक्त महोदय के आयालय में प्रकृत
वाद भी चला है। इन्हें वाद में पारित आदेश की
साथ प्रति के साथ अभिलेख उपस्थापित करें।

11/8/16

26/8/16

21/7/2020
28/8/18

अभिलेख उपस्थापित।
पुनः नोटिस निर्गत करें।

अध्यक्ष-आधिकारी
महाराज।

05/01/20

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक - लघु - प्रगरी अंचल निरीक्षक
गदागामा से प्रसंगत भूमि का गैरितक प्रतिवेदन के साथ
अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिलाका अपलोका
किमा। प्रतिवेदनानुसार अवैध संकेदास्पद पेजी II
रैगत का भूमि सत्रग पराधिकारी ले प्राप्त है। वर्तमान
में उक्त भूमि E.C.L क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत
है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।

लेखापति।

~~अ.प्र.प्र.
गदागामा।~~

~~अ.प्र.प्र.
अंचल अधिकारी
गदागामा।~~

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या ...86.../2016-17 संजय शिवदास पिता-
लुटन शिवदास का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या
...86.../2016-17 संजय शिवदास पिता-लुटन शिवदास का जांच
प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना
नं0-692 के गैरमजरुआ खाता सं0-24/..... के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा
04.बी.17फ0-01 धूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल
पदाधिकरी, गोड्डा के केश नं0-86/2016-17 के माध्यम से
..... संजय शिवदास पिता-लुटन शिवदास को प्राप्त हुआ है, जिसकी
छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख
की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

